

15

10/10/18  
18/12/18

15/10/18  
29/10/18

# फर्द अहकाम (नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम मोहनराज वल्ड मानगाराम काम  
जाट निवासी जोधेश्वर नगर  
मु. न. 15 सन 2018

किसम मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का <u>सडा</u> ने रिपोर्ट पेश कर सुचित वि या कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मौजा <u>जोधेश्वर नगर</u> के खसरा नं० <u>23</u> रकबा <u>0.12 बीघा</u> किसम भूमि <u>गैर मुक्त</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>15/10/2018</u> को बमुकाम <u>सिणधरी</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	
15/10/18	<p><u>पत्रावली साफ प्रस्तुत हुई। गेर सायल उपस्थित गेर सायल अतिक्रमण इतने हेतु सायल चाहे है। जो दीप जाकर पत्रावली साइन्ड दिनांक 29/10/2018 के पेश है।</u></p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	<u>मोहनलाल</u>

RKms  
2018/00026  
18/12/18

निर्गत

18/12/18

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई है और आपका  
 अनुपास्थित। पत्रावली का उपास्थित।  
 श्री मोहनराम बारा किली प्रकार का  
 जकात प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही  
 के विधि सम्मत कोई दस्तावेज प्रस्तुत  
 किया गया है। अतः श्री मोहनराम के  
 अतिक्रमों के लिए किया जाता है।  
 निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत करें।  
 निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया।  
 पत्रावली फंसल सुकार होकर अंतर से  
 कर होकर दारिद्र्य इफतार है।

पत्रावली  
 प. बसड़ा

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के  
 पृष्ठ सं. ... पर क्र.सं. ... पर जुर्माना/फसल  
 अन्तर्गामी राशि रु. ... की मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
 तहसील सिणधरी